

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON TUESDAY, THE 16TH MARCH, 2021 AT 10.00 A.M. (FIRST SITTING).

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. CALLING ATTENTION NOTICE

(i) Calling Attention Notice No.20

Shri Bharat Bhushan Batra, MLA

Shri Aftab Ahmed, MLA

Smt. Geeta Bhukkal, MLA

Shri Jagbir Singh Malik, MLA

Shri Varun Chaudhary, MLA

Shri Shishpal Singh, MLA,

Shri Surender Panwar, MLA - to call the attention of the Minister of Haryana Shehri Vikas Pradhikaran regarding non-implementation of orders of the Hon'ble Chief Minister of Haryana as well as report of the three Hon'ble Judges (Retd.) of Punjab & Haryana High Court in the matter of Re-calculations of Additional Price by HSVP.

III. BUDGET FOR THE YEAR 2021-2022.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION on the Budget Estimates for the year 2021-2022.

IV. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1. A MINISTER to lay on the Table the Personnel Department Notification No. G.S.R.5/Const./Art.320/2021, dated the 1st March, 2021 regarding amendment in the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.
2. A MINISTER to lay on the Table the 21st Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2019-2020, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.
3. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2019-2020, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.
4. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited for the year 2019-2020, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.
5. A MINISTER to lay on the Table the 23rd Annual Financial Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2019-2020, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.
6. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of Lokayukta Haryana for the year 2019-2020 (01.04.2019 to 31.03.2020), as required under section 17(4) of the Haryana Lokayukta Act, 2002.
7. FINANCE MINISTER to lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India on Revenue Sector for the year ended 31st March, 2019 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

8. FINANCE MINISTER to lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India on Social, General and Economic Sectors (Non-Public Sector Undertakings) for the year ended 31st March, 2019 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
9. FINANCE MINISTER to lay on the Table the Finance Accounts (Volume-I &II) for the year 2019-2020 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
10. FINANCE MINISTER to lay on the Table the Appropriation Accounts for the year 2019-2020 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

**CHANDIGARH:
THE 15TH MARCH, 2021.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 16 मार्च, 2021 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची (प्रथम बैठक)।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना।

(i) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना संख्या 20

श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.

श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.

श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.

श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए.

श्री वररुण चौधरी, एम.एल.ए.

श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए.

श्री सुरेन्द्र पंवार, एम.एल.ए. — हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त कीमत की पुनर्गणना के विषय में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश तथा साथ ही साथ पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट के लागू न करने संबंधी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए।

III. वर्ष 2021-2022 के लिए बजट

वर्ष 2021-2022 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।

IV. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र

1. एक मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना सं० जी.एस.आर.5/कांस्ट/आर्ट.320/2021, दिनांकित 1 मार्च, 2021 मेज पर रखेंगे।
2. एक मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
3. एक मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
4. एक मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
5. एक मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 23वीं वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
6. एक मंत्री हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2019-2020 (01.04.2019 से 31.03.2020) के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
7. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व सैक्टर पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षण रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

8. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
9. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखे (भाग-1 तथा 2) मेज़ पर रखेंगे।
10. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे मेज़ पर रखेंगे।

चण्डीगढ़:
15 मार्च, 2021.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।